भारत सरकार

संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1216

उत्तर देने की तारीखः 20.1**2**.201**8**

दिल्ली विश्वविद्यालय में जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर दाखिला

1216. श्री ए॰ विजयकुमारः

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अनेक छात्रों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में जाली प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दाखिला लिया है;**

**(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;**

**(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(घ) क्या सरकार इस खतरे को काबू करने के लिए कदम उठाएगी; और**

**(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)

**(क) से (ड.): दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय ने सूचित किया है कि अवर स्‍नातक पाठ्यक्रमों में विश्‍वविद्यालय के कॉलेजों में दाखिले दिए जाते हैं जबकि स्‍नातकोत्‍तर पाठ्यक्रमों में दाखिले विश्‍वविद्यालय के संबंधित विभाग/संकाय में दिए जाते हैं। अवर स्‍नातक और स्‍नातकोत्‍तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए जारी किए गए सूचना बुलेटिन में अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रमाण-पत्र/अंकसूची जिसके आधार पर दाखिला लिया जाता है, सत्‍यापित करने का कार्य कॉलेजों/विभागों/संकायों का है। शैक्षिक सत्र 2018-**19 **के लिए किए गए दाखिलों हेतु विश्‍वविद्यालय को फर्जी अंकसूची के आधार पर स्‍नातकोत्‍तर पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले एक अभ्‍यर्थी के विरूद्ध शिकायत प्राप्‍त हुई है। विश्‍वविद्यालय ने जारी करने वाले विश्‍वविद्यालय से सत्‍यापन कराने के पश्‍चात् अभ्‍यर्थी का दाखिला निरस्‍त कर दिया है और इस मामले की सूचना प्राधिकारी को दी है। इसके अतिरिक्‍त, दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय संसद के अधिनियम के तहत स्‍थापित सांविधिक स्‍वायत्‍त संगठन है जो डीयू अधिनियम, 1922 और इसके अधीन बनाए गए कानूनों और किए गए अध्‍यादेशों के द्वारा अभिशासित होता है और ऐसे प्रशासनिक मामलों में कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।**

**\*\*\*\*\***